ालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

ासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

नवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 113/2025

बृज मोहन यादव पुत्र श्री सुरजा राम जाति यादव निवासी 16 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. फर्म मै0 मितल सीड्स कम्पनी, ओपोजिट यूनियन मोटर्स, शक्ति मार्ग श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मदन लाल यादव — प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. पैरोकार राज — अप्रार्थी –2

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 18.09.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 16 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगरका रहने वाला है। चक 11 एल. एन. पी. पटवार हल्का 11 एल. एन. पी. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 21 /5, 22/3, 23/4 व 24/3 मे पूर्व मे पिछले 20 वर्षो से रास्ता चलता आ रहा है और मौका पर रास्ता चल रहा है। यह रास्ता आगे मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 25 से मिलता है जो कि रिहायशी इलाका है तथा यह रास्ता आगे भट्ठा कालोनी मे प्रवेश करता है। सभी लोगों का आवागमन इसी रास्ता से होता है तथा मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 25 तक ग्राम पंचायत द्वारा इ[illegible] रोड़ का निर्माण भी करवाया गया है। इसलिये पिछले 20 वर्षो से मौका [illegible] रास्ता वाके चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 50 के [illegible] नम्बर 21/5, 22/3, 23/4 व 24/3 मे रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्[illegible] है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार मे है और उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 21/5, 22/3, 23/4 व 24/3 मे रास्ता स्वीकृत किया राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1, द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 11 एल. एन. पी. पटवार हल्का 11 एल. एन. पी. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 21/5, 22/3, 23/4 व 24/3 मे पूर्व मे पिछले 20 वर्षो से रास्ता चलता आ रहा है और मौका पर रास्ता चल रहा है। यह रास्ता आगे मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 25 से मिलता है जो कि रिहायशी इलाका है तथा यह रास्ता आगे भट्ठा कालोनी मे प्रवेश करता है। सभी लोगों का आवागमन इसी रास्ता से होता है तथा मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 25 तक ग्राम पंचायत द्वारा इन्टर लोकिंग रोड़ का निर्माण भी करवाया गया है। इसलिये पिछले 20 वर्षो से मौका पर चल रहे रास्ता वाके चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 21/5, 22/3, 23/4 व 24/3 मे रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। यह कि अप्रार्थी द्वारा अपनी उक्त भूमि ग्राम वासियों को आने जाने के लिये दी हुई है। जिसमे मौका पर रास्ता चल रहा है। उक्त रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो मुझे कोई एतराज नही है। उक्त रास्ता के एवज में मुझे किसी प्रकार, का मुआवजा नहीं चाहिए। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 21/5, 22/3, 23/4 व 24/3 मे रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत आपसी सहमति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः आदेश दिया जाता है कि रास्ता स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि चक 11 एलएनपी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Navan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

50 के किला नम्बर 21/5, 22/3, 23/4 व 24/3 भूमि रकबा को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा प्रतिकर की राशि पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए प्रतिकर देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 18.09.2025 में लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

अधिकारी (राजस्व) ... गंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:19:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner